संख्या - 11013/11/2001 - स्थापना (क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त, 2005

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- **कार्य स्थलों पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न के निवारण हेतु गठित शिकायत समिति की रिपोर्ट-अनुवर्ती कार्रवाई ।**

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 12 दिसम्बर, 2002 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि शिकायत समिति की रिपोर्ट, अभियुक्त सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध आरंभिक रिपोर्ट समझी जाए ।

2. रिट् याचिका (सी.आर.एल.) संख्या 173-177/1999 (मेघा कोतवाल लेले और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) में दिनांक 26.04.2004 के आदेश में उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया है कि, "शिकायत समिति की रिपोर्ट को केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत जाँच-रिपोर्ट माना जाएगा । उसके उपरांत अनुशासनिक प्राधिकारी रिपोर्ट पर नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा ।" केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 को तद्नुसार यह प्रावधान किए जाने की दृष्टि से दिनांक 01.7.2004 की अधिसूचना संख्या 11012/5/2001-स्थापना (क) (दिनांक 10 जुलाई, 2004 के सा.का.नि. 225) द्वारा संशोधित किया गया है कि शिकायत समिति को, इन नियमों के प्रयोजनार्थ अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जाँच प्राधिकारी समझा जाएगा ।

3. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में किए गए उपर्युक्त संशोधन के मद्देनज़र, दिनांक 12 दिसम्बर, 2002 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/11/2001-स्थापना (क) में निहित अनुदेश आशोधित समझे जाएं तथा शिकायत समिति की रिपोर्ट को आरंभिक रिपोर्ट के बजाय जाँच-रिपोर्ट समझा जाए ।

(हरि कुमार)
निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली ।
5. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ।
6. लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय ।
7. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय ।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग ।

(हरि कुमार)
निदेशक